संख्याः 325 /VII-1/2019-59(उद्योग)/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
निगम/सार्वजनिक उपक्रम,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादूनः दिनांकः 30 मई, 2019

विषयः- सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों हेतु ग्रेच्युटी की सीमा को रू0 10.00 लाख से बढाकर रू0 20.00 लाख किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या-266/45/XXVII(10)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसकें द्वारा राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 20.00 लाख की गई है। इस क्रम में सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों द्वारा भी ग्रेच्यूटी की सीमा रू0 10.00 लाख से बढाकर रू0 20.00 लाख किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः प्रकरण में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-W 02/0036/2018-DPE (WC)-GL-XIX/18, दिनांक 10 जुलाई, 2018 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल ऐसे सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों, जिनमें पूर्व से ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य है तथा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान लागू कर दिया गया है, के कार्मिकों की ग्रेच्युटी की सीमा रू0 10.00 लाख से बढाकर रू0 20.00 लाख किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उपादान सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त भुगतान के वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नही कराई जायेगी।

4- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से आने वाले व्ययभार का वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-32/XXVII(10)/2019, दिनांक 08 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः (1)/VII-1/2019-59(उद्योग)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव